आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर

08.06.2024 समय : 1850

- केंद्र में नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोर–शोर से जारी है–राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु कल श्री नरेंद्र मोदी और उनकी मंत्री परिषद के सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगी।

- भारत सरकार द्वारा क्लीनिकल इस्टैब्लीशमेंट– पंजीकरण और विनियमन अधिनियम दो हजार दस को लागू किया गया है।

- दक्षिण अंडमान ज़िला प्रशासन ने अवैध रूप से मिट्टी काटने के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दो लोगों पर जुर्माना लगाया है।

- द्वीपसमूह के बार लाइसेंस धारकों को अपने बार में नशीली दवाओं के विरूद्ध संकेत चिन्ह लगाने का निर्देश दिया गया है।

- एम. वी. स्वराज द्वीप अब दस जून के स्थान पर ग्यारह जून को चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर वापस लौटेगा।

<><><><><><>

केंद्र में नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोर–शोर से जारी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने एनडीए संसदीय दल के नेता नरेन्द्र मोदी को नई सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया है। शपथ ग्रहण समारोह कल शाम सात बजकर पन्द्रह मिनट पर राष्ट्रपति भवन प्रांगण में होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु श्री नरेंद्र मोदी और उनकी मंत्री परिषद के सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगी। श्री मोदी ने कल राष्ट्रपति से मुलाकात की और नई सरकार बनाने का दावा पेश किया। इससे पहले, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के नेतृत्व में एनडीए के एक प्रतिनिधिमंडल ने भी राष्ट्रपति से मुलाकात की और एक पत्र सौंपा, जिसमें कहा गया था कि श्री नरेंद्र मोदी को भाजपा संसदीय दल का नेता निर्वाचित किया गया है। एनडीए के घटक दलों की ओर से समर्थन पत्र भी राष्ट्रपति को सौंपा गया। राष्ट्रपति भवन के बाहर श्री मोदी ने कहा कि एनडीए एक सुदृढ़, स्थिर और विकासोन्मुख सरकार का गठन करेगी। श्री मोदी ने कहा कि लोगों ने एनडीए सरकार को एक और अवसर दिया है और यह अट्ठारहवीं लोकसभा नवीन और युवा ऊर्जा का स्रोत है। उनकी सरकार, देशवासियों की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करेगी। उन्होंने देश को भरोसा दिलाया कि उनकी सरकार देश का तेज गति से विकास करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। श्री नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री पद के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए पड़ोसी देशों के विभिन्न नेताओं को आमंत्रित किया गया है। पड़ोसी राज्यों और हिंद महासागर क्षेत्र के नेता समारोह में विशिष्ट अतिथि के रुप में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार तीसरे कार्यकाल के शपथ ग्रहण समारोह में विश्व नेताओं की उपस्थिति भारत की पड़ोसी प्रथम नीति और 'सागर' दृष्टिकोण को दी गई सर्वोच्च प्राथमिकता को दर्शाती है।

<><><><><><>

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु कल शाम निर्वाचित प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और नए केन्द्रीय मंत्री परिषद को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगी। राष्ट्रपति भवन में कल होने वाले शपथ ग्रहण समारोह का आंखों देखा हाल आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर से शाम छः बजकर पैंतालीस मिनट पर रिले किया जाएगा। जिस कारण कल शाम का प्रादेशिक समाचार बुलेटिन सात बजकर पांच मिनट के स्थान पर शाम साढ़े छः बजे से सुना जा सकता है।

<><><><><><>

भारत सरकार द्वारा क्लीनिकल इस्टैब्लीशमेंट– पंजीकरण और विनियमन अधिनियम दो हजार दस को लागू किया गया है। इसके तहत सरकारी और निजी क्षेत्र में अस्पतालों, नर्सिंग होम, एकल चिकित्सक क्लीनिक, डाइग्नोस्टिक सेन्टर और अन्य सभी क्लीनिकल इस्टैबलीशमेंट के पंजीकरण और विनियमन का प्रावधान करना है। यह अधिनियम कर्मियों के विवरण सहित सुविधाओं और सेवाओं के न्यूनतम मानकों को निर्धारित करता है, जो उनके द्वारा प्रदान किए जा सकते हैं। इसका उद्देश्य मरीजों के लिए स्वास्थ्य देखभाल और सेवाओं में पारदर्शिता लाना है। स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में झोलाछाप डॉक्टर सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा खतरा है, जिनके पास सुरक्षित और प्रभावी चिकित्सा देखभाल प्रदान करने के लिए आवश्यक योग्यता नहीं होती है। इसके अलावा नकली दवाओं से मरीजों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। यह अधिनियम ज़िला पंजीकरण प्राधिकरण को प्रावधानों के उल्लंघन के संबंध में जुर्माना लगाने और बंद करने सहित कार्रवाई करने का अधिकार देता है। अधिनियम का उल्लंघन करने वालों पर पचास हजार रूपये से लेकर पांच लाख रूपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। ज़िला पंजीकरण प्राधिकरण की ओर से जारी विज्ञप्ति में आम जनता से अनुरोध किया गया है कि वे झोला छाप डॉक्टरों की जानकारी प्राधिकरण और प्रशासन के साथ साझा करें।

<><><><><><>

दक्षिण अंडमान ज़िला प्रशासन ने अवैध रूप से मिट्‌टी काटने के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दो लोगों पर जुर्माना लगाया है। हाल ही में राजस्व अधिकारियों ने लघु खनिज नियम दो हजार बारह का उल्लंघन करते हुए अवैध रूप से मिट्‌टी काटने और परिवहन के लिए उपयोग में लाई गई एक ट्रक और दो मशीनों को ज़ब्त किया है। सीपीघाट निवासी कुणाल कुमार पॉल और पच्चीस अन्य लोगों के पक्ष में दर्ज भूमि से एक सौ घन मीटर मिट्‌टी निकाली गई और इसे सीपीघाट में ही दूसरी भूमि पर डाला गया। भूमि राजस्व और भूमि सुधार विनियमन के तहत उल्लंघनकर्ताओं पर कार्रवाई करते हुए एक लाख दस हजार रूपये का जुर्माना लगाया गया। एक अन्य मामले में मिनी बे निवासी शशांक पुरिया को संबंधित अधिकारी की अनुमति के बिना नमूनाघर से एक सौ घन मीटर मिट्‌टी काटने के आरोप में चालीस हजार रूपये का जुर्माना लगाया गया है। दक्षिण अंडमान जिला उपायुक्त ने लोगों को अवैध खनन और इस तरह की अवैध गतिविधियों में शामिल न होने की चेतावनी दी है।

<><><><><><>

द्वीपसमूह के बार लाइसेंस धारकों को अपने बार में नशीली दवाओं के विरूद्ध संकेत चिन्ह लगाने का निर्देश दिया गया है। दक्षिण अंडमान के सहायक आयुक्त, आबकारी की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि द्वीपसमूह के सभी बार लाइसेंस धारकों को अपने बार में नशीली दवाओं के विरूद्ध संकेत चिन्ह लगाने होंगे, जो संक्षिप्त और स्पष्ट होनी चाहिए। ऐसा न करने पर किसी भी समय लाइसेंस रद्‌द किया जा सकता है।

<><><><><><>

सूचना और प्रसारण मंत्रालय योग अभ्यास के बारे में जागरूकता के लिए विभिन्न गतिविधियों का आयोजन करेगा। सूचना और प्रसारण सचिव संजय जाजू और आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य राजेश कोटेचा ने कल नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस दो हजार चौबीस के कार्यक्रमों की तैयारियों की समीक्षा की। आयुष मंत्रालय ने एक योग गीत तैयार किया है। सभी मीडिया प्लेटफार्मों पर इसे साझा किया जा रहा है।

<><><><><><>

एम. वी. स्वराज द्वीप की दस जून की चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर की यात्रा स्थगित की गई है। अब यह जहाज़ ग्यारह जून को चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर के लिए रवाना होगा। जिन यात्रियों ने इस यात्रा के लिए टिकट खरीदे हैं, वे अब इसी टिकट पर ग्यारह जून को यात्रा कर सकते हैं। इस परिवर्तन के कारण एम. वी. स्वराज द्वीप के जून माह के यात्रा कार्यक्रम में संशोधन किया गया है। अब यह जहाज़ अट्ठारह और उनतीस जून को पोर्ट ब्लेयर से विशाखापत्तनम की यात्रा पर जाएगा।

<><><><><><><>

द्वीपसमूह के कुछ भागों में वर्षा हुई। मायाबंदर में आज सुबह साढ़े आठ बजे तक दस मिलीमीटर और लांग आइलैंड में तीन दशमलव दो मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया गया है कि दस जून को अंडमान द्वीप के एकाध भागों में और ग्यारह जून को द्वीपसमूह के एक दो स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। खराब मौसम को देखते हुए मछुआरों को दस से बारह जून तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है।

<><><><><><><>